भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3215

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मंकीपॉक्स का प्रसार

3215. श्री बैजयंत पांडा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सम्पूर्ण देश में मंकीपॉक्स के कितने मामले सक्रिय हैं;
(ख) सरकार द्वारा इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं;
(ग) क्या सरकार ने इस प्रकोप से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों के साथ कोई सहयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सम्पूर्ण देश विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मंकीपॉक्स के मामलों की निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश भर में मंकीपॉक्स (एमपॉक्स) का कोई सक्रिय मामला नहीं है। हालाँकि, 2022 से, देश में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एमपॉक्स के तैंतीस (33) पुष्ट मामलों (केरल से 17 मामले और दिल्ली से 16 मामले) को रिपोर्ट किया गया हैं।

(ख) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस रोग के देश के बाहर से आने के जोखिम को कम करने के साथ-साथ एमपॉक्स रोग के प्रबंधन के लिए अपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैदानिक अंतक्षेप को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ प्रमुख उपाय नीचे दिए गए हैं:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'एमपॉक्स रोग प्रबंधन दिशानिर्देश' जारी किए हैं, जिन्हें https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Guidelines%20for%20Management%20of%20Monkeypox%20Disease.pdf पर देखा जा सकता है। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में

व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। इन दिशा-निर्देशों में एमपॉक्स के प्रबंधन के सभी पहलू जैसे मामले का लक्षण, निगरानी कार्यनीति, नैदानिक प्रबंधन, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण, जोखिम संचार शामिल हैं।

- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के तहत राज्य/जिला निगरानी अधिकारियों (एसएसओ) को एमपॉक्स रोग के निगरानी कार्यकलापों को तेज करने का निर्देश दिया गया है।

- आईसीएमआर के तहत एनआईवी पुणे (बीएसएल-4 प्रयोगशाला) को संदिग्ध मामलों के परीक्षण के लिए रेफरल प्रयोगशाला के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, एमपॉक्स रोग के लिए नैदानिक परीक्षण करने के लिए 17 अन्य आईसीएमआर-वीआरडीएल नेटवर्क प्रयोगशालाओं को चालू किया गया है। नमूनों की पैकेजिंग और परिवहन के निर्देश सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं।

- सभी हवाई अड्डों/बंदरगाह स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क रहने और आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की कठोर स्वास्थ्य संबंधी जांच करने का निर्देश दिया गया है।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एमपॉक्स संबंधी संचारी रोग अलर्ट जारी किया है जिसे https://ncdc.mohfw.gov.in/cd-alert/ पर देखा जा सकता है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र को भी सक्रिय किया गया है।

- एमपॉक्स रोग के प्रबंधन के लिए निदान और टीकों के विकास की निगरानी के लिए एमपॉक्स रोग संबंधी राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

- सरकार ने देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेष रूप से एमपॉक्स प्रकोप के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री विकसित की गई है और इसे समुदाय के लिए सामान्य लक्षणों, संदिग्ध मामलों की तत्काल रिपोर्टिंग की आवश्यकता और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रसारित की गई है।

- राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा नियंत्रण और रोकथाम प्रयासों में सहायता के लिए प्रभावित जिलों में ऐसे मामलों की पुष्टि का पता लगाने के लिए केंद्रीय टीमों को भी तैनात किया गया है।

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहा है और सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस प्रकोप पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए अपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

******